

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3576
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सर्पदंश की घटनाएं

3576. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में जहरीले सांपों की कुल कितनी प्रजातियों और उप-प्रजातियों की पहचान की गई है और उनका वर्गीकरण क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में सर्पदंश की वर्षवार और राज्यवार कितनी घटनाओं की सूचना मिली है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सर्पदंश से हुई मौतों की वर्ष और राज्यवार संख्या कितनी है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने के लिए जागरूकता अभियानों, विषरोधी और प्राथमिक उपचार उपायों की उपलब्धता सहित क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): देश में पहचानी गई जहरीले सांपों की कुल प्रजातियों और उप-प्रजातियों की संख्या और उनका वर्गीकरण राष्ट्रीय सर्पदंश विष निवारण एवं नियंत्रण कार्य योजना (एनएपीएसई) के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2024/07/NATIONAL-ACTION-PLAN-FOR-PREVENTION-AND-CONTROL-OF-SNAKEBITE-ENVENOMING-NAPSE.pdf>.

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी)/एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) पर रिपोर्ट की गई सर्पदंश की घटनाओं की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या अनुलग्नक-। पर दी गई है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान आईडीएसपी/आईएचआईपी पर रिपोर्ट की गई सर्पदंश से हुई मौतों की वर्षवार और राज्यवार संख्या अनुलग्नक-॥ में दी गई है।

(घ): भारत सरकार ने सर्पदंश की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का व्यौरा अनुलग्नक-॥ में है।

"सर्पदंश की घटनाएं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3576 के भाग (ख) के उत्तर में
संदर्भित अनुलग्नक

राज्य	2022	2023	2024
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	104	95
आंध्र प्रदेश	4392	4855	4654
अरुणाचल प्रदेश	63	113	126
असम	1689	3880	10418
बिहार	1754	1902	2465
चंडीगढ़	5	12	10
छत्तीसगढ़	1298	829	1810
दिल्ली	109	162	140
गोवा	370	461	567
गुजरात	2597	3394	5966
हरियाणा	196	192	280
हिमाचल प्रदेश	303	246	392
जम्मू और कश्मीर	636	964	1243
झारखण्ड	412	1562	2725
कर्नाटक	3448	6556	13123
केरल	97	1346	2532
लद्दाख	0	0	0
लक्ष्मीपुर	0	0	0
मध्य प्रदेश	1208	1479	3334
महाराष्ट्र	9044	9213	9247
मणिपुर	120	30	170
मेघालय	110	280	560
मिजोरम	130	112	280
नागालैंड	121	99	104
ओडिशा	4837	9290	16594
पुडुचेरी	93	75	93
पंजाब	69	127	101
राजस्थान	1343	1530	1909
सिक्किम	102	115	111
तमिलनाडु	15141	19787	16154
तेलंगाना	2562	2559	2479
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	295	414	387
त्रिपुरा	411	679	920
उत्तराखण्ड	679	130	779
उत्तर प्रदेश	72	538	297
पश्चिम बंगाल	8217	13251	20872

"सर्पदंश की घटनाएं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3576 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक भारत में सर्पदंश से होने वाली मृत्यु का राज्यवार आंकड़ा (स्रोत आईएचआईपी/आईडीएसपी)			
राज्य	2022	2023	2024
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1	6	41
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	0	4	15
बिहार	0	10	3
चंडीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ़	5	2	5
दिल्ली	0	0	0
गोवा	0	0	0
गुजरात	0	4	4
हरियाणा	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	1
जम्मू और कश्मीर	0	13	16
झारखण्ड	0	16	22
कर्नाटक	17	19	101
केरल	0	0	1
लद्दाख	0	0	0
लक्ष्मीपुर	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	12	12
महाराष्ट्र	0	2	7
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	1
मिजोरम	0	0	1
नागालैंड	0	0	0
ओडिशा	4	29	31
पुदुचेरी	0	0	0
पंजाब	0	0	0
राजस्थान	0	0	2
सिक्किम	0	1	0
तमिलनाडु	17	43	25
तेलंगाना	0	0	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तराखण्ड	0	0	12
उत्तर प्रदेश	0	1	1
पश्चिम बंगाल	3	21	69

"सर्पदंश की घटनाओं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3576 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सर्पदंश के मामलों और मौतों की सूचना वास्तविक समय आधार पर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी)/एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) पर दे रहे हैं।
- सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय सर्पदंश विष निवारण और नियंत्रण कार्य योजना (एनएपीएसई) के अंतर्गत सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जो <https://ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2024/07/NATIONAL-ACTION-PLAN-FOR-PREVENTION-AND-CONTROL-OF-SNAKEBITE-ENVENOMING-NAPSE.pdf> लिंक पर देखा जा सकता है।
- सर्पदंश से संबंधित उपचार एनएचएम के स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एचएसएस) घटक का हिस्सा है। आपातकालीन दवाओं, उपकरणों, सर्पदंश से संबंधित परिवहन और अन्य आपातकालीन स्थितियों हेतु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक स्तर पर पोलिवेलन्ट एंटी स्लेक वेनम (एएसवी) की वहनीयता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एएसवी को राष्ट्रीय और राज्य आवश्यक औषध सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय मुफ्त दवा पहल के माध्यम से एएसवी के लिए निधियां प्राप्त होती हैं।
- देश में सर्पदंश निवारण एवं नियंत्रण क्रियाकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जा रही हैं
 - राज्य और जिला स्तर पर सर्पदंश प्रबंधन, आपातकालीन परिचर्या, नियंत्रण आदि पर स्वास्थ्य पेशेवरों का प्रशिक्षण;
 - पक्ष समर्थन, अंतरक्षेत्रीय समन्वय आदि के लिए बैठकें,
 - चौकसी और निगरानी
 - आईईसी के माध्यम से जन जागरूकता
- देश भर में सभी जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में डॉक्टरों को सर्पदंश के मामलों के आपातकालीन प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने हेतु स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं का क्षमता निर्माण किया है।
- समुदायों में सर्पदंश के बारे में जागरूकता, रोकथाम और नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और वीडियो का एक व्यापक सेट प्रसारित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
 - सर्पदंश रोकथाम एवं नियंत्रण पर पुस्तिका: हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध यह पुस्तिका सर्पदंश रोकथाम, नियंत्रण और सर्पदंश पीड़ितों के लिए प्रारंभिक प्राथमिक उपचार उपायों पर व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है।
 - साँप के काटने पर क्या करें और क्या न करें वाला पोस्टर: जन समुदाय में उपयोग के लिए बनाए गए ये पोस्टर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, जो जोखिम को कम करने और साँप के काटने पर उचित अनुक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक सलाह देते हैं।
 - सर्पदंश जागरूकता वाला वीडियो: 10 क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित इस वीडियो का उद्देश्य विविध आबादी को सर्पदंश की रोकथाम, प्राथमिक चिकित्सा और समय पर चिकित्सा सहायता लेने के महत्व के बारे में प्रभावी ढंग से शिक्षित करना है।